

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१८

मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में, धारा ६ तथा ७ को अंतर्विष्ट करने वाले भाग-तीन "वन विकास उपकर" को निरसित किया जाए.

भाग तीन का निरसन.

३. उपर्युक्त भाग के निरसन पर, पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमाम्यता, अविधिमाम्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति, या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा.

व्यावृत्ति.

४. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

५. (१) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के १०१वें संशोधन तथा संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची दो की प्रविष्टि क्रमांक ५४ में संशोधन के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार, मात्र छह विशिष्ट मदों के विक्रय पर कर उद्ग्रहण करने हेतु सशक्त है. ऐसी स्थिति में, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) का भाग तीन, वन उपज के विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में, अनावश्यक है. अतः मूल अधिनियम में समुचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २० जून, २०१८.

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ४(१) द्वारा अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाई को दूर करने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जो सामान्य स्वरूप की होंगी.

अध्यादेश के संबंध में विवरण

संविधान के १०१वें संशोधन तथा सप्तम् अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य सूची की प्रविष्टि ५४ में संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, मात्र छह विशिष्ट मदों के विक्रय पर कर उद्ग्रहण करने हेतु सशक्त है. ऐसी स्थिति में, मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) का भाग-तीन, वन उपज के विक्रय या प्रदाय पर वन विकास उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में, अनावश्यक था. इसलिए मूल अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था, चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक ९ सन् २०१८) इस प्रयोजन के लिये दिनांक ५ मई, २०१८ को प्रख्यापित किया गया था.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) से उद्धरण

- * * * * *
- धारा ६. (क) “वन उपज उपकर” से अभिप्रेत है धारा ७ के अधीन वन विभाग द्वारा वन-उपज के विक्रय या प्रदाय पर उद्गृहीत उपकर;
- (ख) “वन विभाग” के अन्तर्गत आता है कंपनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन गठित वन विकास निगम;
- (ग) अभिव्यक्ति “वन उपज” का वही अर्थ होगा जो कि उस अभिव्यक्ति के भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ का सं. १६) की धारा २ के खण्ड (४) में दिया गया है.
- धारा ७ (१) वन विभाग द्वारा वन-उपज के प्रत्येक विक्रय या प्रदाय पर वन-उपज उपकर, उस कीमत के, जिस पर कि ऐसी वन-उपज बेची जाती है या उसका प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत तथा संग्रहीत किया जाएगा.
- (२) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत वन-उपज उपकर किसी ऐसे कर के अतिरिक्त होगा जो वन-उपज पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय है.
- (३) वन विभाग द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई वन-उपज के संबंध में उपधारा (१) के अधीन देय वन-उपज उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा, जिसको वन-उपज बेची जाती है या जिसको उसका प्रदाय किया जाता है और उसका संग्रहण तथा वसूली वन विभाग का उस अधिकारी या पदाधिकारी द्वारा, जो ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित हो, उसी समय किया जाएगा जबकि ऐसा विक्रय या प्रदाय किया जाता है.
- (४) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत वन-उपज उपकर के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग कर दिया जाने के पश्चात्, राज्य की संचित निधि में से उतनी रकम प्रत्याहृत कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उगाहे गए वन-उपज उपकर के आगमों के समतुल्य हो, और उसे वन विकास निधि नामक एक पृथक् निधि में जमा करेगी, और उक्त निधि में जमा ऐसी रकम मध्यप्रदेश राज्य संचित निधि पर भारित व्यय होगी.
- (५) उक्त निधि में जमा रकम का उपयोग, राज्य सरकार के विवेकानुसार, निम्नलिखित प्रयोजनों के किया जाएगा :—
- (क) सामाजिक वानिकी प्रयोजन;
- (ख) वनरोपण, पुनर्वनरोपण तथा वनों का पुनरुद्धार, और
- (ग) वनों के विकास से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे.
- (६) वन विकास निधि का संधारण और परिचालन इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.